राजस्थान की वन एवं पर्यावरण संरक्षण योजनाओं का प्रशासनिक मूल्यांकन

डॉ.मधुबाला शर्मा
MA(Pub.Adm),Ph.D
C-76,Bapu nagar,Jaipur 302015
madhu.ksharma@yahoo.com

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.59 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.70 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू–भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। प्रदेश की विषम परिस्थितियों तथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छाादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये प्राकृतिक वनों की स्थिती को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक भू–भाग को वनाच्छादित किया जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है। राज्य में वनीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.2012 को एक आदेश प्रसारित कर वन भूमि, सार्वजनिक अथवा संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने की इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों को मात्र एक रूपये प्रति पौधे की दर से पौधे उपलब्ध कराने व्यवस्था की है।[1]

वन विकास की योजनाएँ :

राज्य में वन विकास की नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिये राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इंटरनेशनल कॉ–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

- **राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2**

राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–ऑपरेशन एजेंसी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरुस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना हेतु कुल 650 गांव (मरुस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिह्नित किया गया है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यो के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास योगदान करना''।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिह्नित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल में वृद्धि करते हुये आजीविका

संवर्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जायेगा। इसक साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जायेंगे।

नाबार्ड पोषित परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा भरा बनाये जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 18 अन्तर्गत वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सर्वाइमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजना अन्तर्गत 52,750 है, क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि 336.65 करोड़ रूपये की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन आदि कार्य भी किये जा रहे हैं। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराये जा रहे हैं। अब तक परियोजना अन्तर्गत 52750 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षोरापण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। परियोजना में वर्ष 2012–13 में राशि 7897.00 लाख रूपये, वर्ष 2013–14 में राशि 13317.08 लाख रूपये एवं वर्ष 2014–15 में राशि 5154.31 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।

परियोजना के उद्देश्य

नाबार्ड वित्त पोषित के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों के माध्यम से अरावली तथा विध्यांचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्स्थापना।

- वनभूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हो तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सके।
- 'जीन पूल' का सरंक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवृद्धि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईंधन व चारे की उपलब्धता को बढ़ाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबन्ध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास में जन भागीदारी प्राप्त करना।
- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये परिभ्रांषित वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा जिसकी परिणति जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से होगी तथा आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु परियोजना को 7 पैकेज में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

पैकेज–1 : वृक्षारोपण कार्य : इस पैकेज के तहत वन क्षेत्रों में वर्तमान वनस्पति घनत्व के आधार पर वृक्षारोपण का प्रावधान है। इस पैकेज के तहत चार मॉडल्स का प्रावधान किया गया है :

(i) **परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन –I (Rehabitilitation of Degraded Forests-I) :** ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 0 से 10 प्रतिशत हो तथा जहां रूट

स्टॉक बहुत कम हो वहां इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों मे 400 से 500 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाये जायेंगे।

(ii) **परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन –।। (Rehabitilitation of Degraded Forests-II)** : ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 10 से 40 प्रतिशत हो तथा अच्छी मात्रा में रूट स्टॉक उपलब्ध हो वहाँ इस मौडल के अनुसार कार्य किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों में 200 से 300 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाये जायेंगे।

(iii) **प्राकृतिक रिजनरेशन को बढ़ावा (Assisted Natural Regeneration)** : ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक है तथा पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से पौधे तथा रूट स्टॉक उपलब्ध हो तथा खाली स्थानों में 150–200 पौधे लगाये जाने की संभावना हो, में इस मौडल के तहत कार्य किया जायेगा।

(iv) **पंचायत भूमि वृक्षारोपण (Panchayat Land Plantation)** : वन भूमि के अतिरिक्त ग्राम की रिक्त पड़ी गैर वन भूमि, चरागाह भूमि, पड़त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इस मॉडल के तहत 800 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाये जाने का प्रावधान है। इस मॉडल के तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 10 से 20 हैक्टेयर क्षेत्र मे वृक्षारोपण किया जा सकता है।

पैकेज–2 : कृषि वानिकी गतिविधियां : इस पैकेज के तहत कृषकों एवं आमजन में पौधे उपलब्ध कराने हेतु नर्सरी में पौधे तैयार करने तथा इस हेतु नई नर्सरी लगाने तथा स्थापित विभागीय नर्सरियों के विकास का प्रावधान रखा गया है।

पैकेज–3 : जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण : इस पैकेज के तहत वन तथा गैर वन भूमियों मे चेकडैम, गैबियन चेकडैम, परकोलेशन टैंक (Percolation Tank), जल संरक्षण संरचनाएं तथा एनिकट बनाने का प्रावधान है, जिससे कृषि में कन्टूर बंडिंग तथा फार्म पौण्ड बनाने का प्रावधान है जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

पैकेज–4 : साझा वन प्रबन्ध : इस पैकेज के तहत परियोजना क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के गठन, समितियों से सम्बन्धी ग्रामों की सूक्ष्म योजना बनाने, साझा वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की अतिरिक्त गतिविधियां करने, प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक कार्य करने तथा आम जन में वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अवेयरनेस कैम्पस आयोजित करने का प्रावधान है।[1]

पैकेज–5 : दक्षता निर्माण (Capacity Building) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयं संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि नवीनतम तकनीकी की जानकारी देकर परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप सफल कार्य कराये जा सकें।

पैकेज–6 : संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के शैक्षणिक भ्रमण, सफल कार्य स्थलों के भ्रमण तथा इस हेतु कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरण यथा जी.पी.एस. कैमरा, टी.वी., वीसी.आर. आदि के क्रय का तथा परियोजना के कार्यों की तकनीकी सम्बन्धी वन–पर्यावरण के सम्बन्ध में जाग्रति पैदा करने हेतु सामग्री प्रकाशन का प्रावधान भी किया गया है।

पैकेज–7 : प्रबोधन एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) : इस पैकेज के तहत कराये गये कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन का प्रावधान है ताकि इसके क्रियान्वयन में हो रही तकनीकी कमियों का पता लग सके तथा भविष्य में इसमें सुधार किया जा सके।[2]

- **कैम्पा कोष (CAMPA Fund)**

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 क अर्न्तगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजर एजेंसी से सीए, एनपीवी, एपीसीए, व पीसीए लागू करने की शर्त अधिरोपित की गई थी जिसमें एकत्रित राशि के प्रबन्धन हेतु नवम्बर, 2009 में अधिसूचना क्रमांक 279/12.11.2009 से राजस्थान राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेंट एवं प्लानिंग अथॉरिटी का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 10 जुलाई, 2009 के अन्तर्गत किया गया। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु यूजर एजेंसी से एकत्रित सीएव एनपीवी राशि का प्रबंधन करना था।

स्टेट कैम्पा का उद्देश्य :

- स्टेट कैम्पा का गठन वन संरक्षण, सुरक्षा, पुनरुद्भवन व मौजूदा प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना।
- वन्य जीवों व इनके आवास संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर बाहर का सरंक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन करना।
- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करना।
- पर्यावरण संरक्षण करना।
- रिसर्च, प्रशिक्षण व कैपेसिटी बिल्डिंग।

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा योजना के अन्तर्गत गवर्निंग बॉडी, स्टीयरिंग कमेटी व एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

1. **गवर्निंग कमेटी :** गवर्निंग बॉडी में चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार व सदस्य – वन मंत्री, वित्त एवं योजना मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वन) रहेंगे।

गवर्निंग बॉडी कमेटी राज्य कैम्पा की पॉलिसी, फ्रेमवक्र व कार्यों का निर्धारण तथा समय–समय पर किये गये कार्यो की समीक्षा करेंगी।

2. **स्टीयरिंग कमेटी** : स्टीयरिंग कमेटी में चेयरपर्सन –मुख्य सचिव तथा सदस्यगण प्रमुख शासन सचिव (वन), प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधि, 2 प्रमुख एनजीीओ राज्य सररकार द्वारा मनोनीत तथा सदस्य सचिव अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (विकास) होंगे।

3. **स्टीयरिंग कमेटी का कार्य** : एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना का अनुमोदन करना व स्टेट कैम्पा द्वार दिये गये बजट के उपयोग की मॉनिटरिंग करना। स्टेट कैम्पा की वार्षिक रिपोर्ट्स तथा लेखा (ऑडिटेड) को स्वीकार करना। 6 माह में एक बार मीटिंग करना।

4. **एक्जीक्यूटिव कमेटी** : एक्जीक्यूटिव कमेटी में एक चेयरपर्सन, चार सदस्य व एक सदस्य सचिव होंगे। चेयरपर्सन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (**HOFF**), सदस्य– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 एनजीओ तथा अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वप संरक्षण एवं नोडल अधिकारी एफसीए सदस्य सचिव होंगे।

स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्देश्य एवं नियमों का गठन करना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह के पूर्व वार्षिक कार्य योजना विभिन्न कार्यकलापों के अनुसार तैयार कर स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी सहमति प्राप्त करना फण्ड रिलीज कराने के लिये।

कैम्पा फण्ड से कराये गये कार्यों का सुपरविजन करना। फण्ड प्राप्ति व उसके खर्चों की ऑडिटिंग के प्रति जवाबदेह होना। क्रियान्वयन एजेंसी का लेखा संधारण हेतु

दिशा–निर्देश तैयार करना। स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष रिव्यू हेतु रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना। वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त जून अंत तक तैयार करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2009 के अनुसार तदर्थ कैम्पा में राज के हिस्से की जमा मूल राशि की 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष स्टेट कैम्पा को रिलीज की जायेगी।[3]

- **साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना**

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन केलिये 24.10.2002 क राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में 6042 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित हें जो लगभग 9.80 लाख हैक्टेयर, जो कि राज्य में वन भूमि का 27% है, से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है। इन ग्राम वन प्रबन्धन सुरक्षा समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिये चालू वर्ष में 30.00 लाख रूपये व्यय किये जायेंगे। यह नवीन योजना भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है।

- **भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण (Bhakhra & Gang Canal Plantation)**

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया जो वर्तमान में बीकानेर नहर कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटरर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा, नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड़ भू–भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के

किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था। इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिये पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यकता हो गया था। पुनरारोपण के लिये राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी है। भाखड़ा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम :

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया था। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।[4]

राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से 8 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती है :

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला
2. किसान प्रशिक्षण, तथा
3. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

बैम्बू मिशन :– राष्ट्रीय बैम्बू मिशन में वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वन मण्डल बांसवाड़ा में 75 हैक्टेर वृक्षारोपण कार्य किया गया है।[5]

- **मुख्यमंत्री घोषणा**

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में स्मृति वन में बटर फ्लाई वैली प्रोजेक्ट एवं सिल्वन पार्क में बोगनवेलिया पार्क की जयपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित करने की घोषणा की गई थी।

उक्त दोनों प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिये एम.ओ.यू. वन विभाग एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के मध्य किया गया है। MOU एवं स्वीकृति योजना अनुसार उक्त दोनों परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है :–

(i) **सिल्वन पार्क :–** जयपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग द्वारा आगरा रोड़ जयपुर पर सिल्वन पार्क विकसित किया जा रहा है तथा पार्क में वन विभाग द्वारा वानिकी कार्य एवं जेडीए द्वारा वाक–वे/पाथ–वे विकसित करना, बोरवेल, बेलों

की चढ़ाने हेतु ट्रेलिज, झोंपा ठीक करना , गजीबों बनाने आदि की कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कन्सलटेंट की राय के अनुसार बोगनवेलिया अरावली प्रजाति के वृक्षों का रोपण औषधीय पौध एवं घास लगाने का कार्य किया गया है तथा जेडीए द्वारा वाकिंग ट्रेल, ट्रलिज एवं गजीबों बनाने के कार्य किया गया है। माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 19.12.2015 को पार्क का लोकार्पण किया गया है।

(ii) **कुलिश स्मृति वन में बटरफ्लाईवैली प्रोजेक्ट :–** जयपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग द्वारा स्मृति वन जयपुर में बटरफ्लाई विकसित की जा रही है। स्मृति वन में बटरफ्लाईवैली में वन विभाग द्वारा वानिकी कार्य करवाये जा रहे हैं तथा जेडीए द्वारा तितलियों के प्रजनन एवं आकर्षण हेतु अनुकुल वातारण तैयार करने के लिये सिंचाई एवं वाटर चैनल, नैट वाक–वे/पाथ–वे विकसित करने का कार्य किया गया है। वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कन्सलटेंट की राय के अनुसार घास एवं ग्राउण्ड कवर एवं तितलियो की राय के अनुसार घास एवं ग्राउण्ड कवर एवं तितलियों हेतु उपायुक्त अन्य प्रजातियों के वृक्ष लगाने का कार्य किया गया है। श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा दिनांक 19.12.2015 को लोकार्पण किया गया है।[6]

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संपादित विकास कार्यों की गुणवता (मात्रात्मक एवं गुणात्मक) विदित करने एवं सुनिश्चित करने तथा भविष्य में किये जाने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश प्रदान करने की दृष्टि के मद्देनजर विकास कार्यों का मूल्याकंन कार्य करवाया जाता है।

इस कार्य हेतु संभागीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाइंया सृजित हैं। सभी मूल्याकंन इकाइयों के प्रभारी उपवन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थापित है।

समस्त उप वन संरक्षकगण (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहकर उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। राज्य के सातों संभागों के अधीन

संभागीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर उप वन संरक्षक, आयोजन एवं प्रबोधन कार्य कर रहे है, जो संभाग में हो रहे वानिकी कार्यों का मूल्यांकन मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य की गोपनीयता बनाए रखते हुये करते हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) को अपनी टिप्पणी सहित प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार मूल्यांकन इकाइयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।[7]

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियाविन्त किया गया है। ताकि पर्यावरण संरक्षण करके वनों की सुरक्षा एवं प्रबंध का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए साझा वन प्रबंधन की प्रकिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भरजन समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना। सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अथक प्रयास सरकार द्वारा प्रशानिक रुप से किये जा रहे हैं।

संदर्भ सूची

1. जे.बी लाल, फोरेस्ट इकोलॉजी, नटराज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. सीमा बेदी, बायोटेक टू फोरेस्ट रिस्क्यूल, 1993
3. वी.एस. सक्सैना, सॉशियल फोरेस्ट इन ट्राइबल डवलपमेंट, प्रकाशन दिल्ली।
4. पर्यावरण वन, ''वन्यजीवों पर विधानों'' पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं में मंत्रालय द्वारा प्रकाशित।
5. राजस्थान वन नीति 2010, राजस्थान सरकार का वन एवं पर्यावरण विभाग।
6. प्रशासनिक प्रतिवेदन, 2015–16, वन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी।
7. नैशनल फॉरेस्ट कमीशन रिपोर्ट, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, 2006